



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा
॥म०प०॥

कृषि विज्ञान - 1768-III-14

पुर्नबिलोकन प०क०/

289
3.6.14

70



Rs. 15/-

शशिकान्त नामदेव आत्मज श्री रामगरीब नामदेव उम्री लगभग 36 वर्ष
पेसा कृषि नि०ग्राम इटहा खपरैलान थाना लौर तत्कालीन तहसील मउगंज
बर्तमान नईगढी जिला रीवा ॥म०प०॥ - - - - -आवेदक

श्री. आ. ए. ए. ए. ए. ए.
द्वारा आज दिनांक
प्रस्तुत किया गया

3:06:14

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

मुस. मनीगरिया बिधवा धर्मपत्नी स्व. रामदास नामदेव उम्री लगभग 81
वर्ष पेसा गृह कार्य नि०ग्राम इटहा खपरैलान तहसील नईगढी हाल मुकाम
रघुनाथगंज थाना लौर तहसील मनगवां जिला रीवा ॥म०प०॥ --अनावेदिक

पुर्नबिलोकन आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 51
म०प० भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई०1

पुर्नबिलोकन बिस्व आदेशा न्यायालय श्रीमान्
राजस्व मण्डल म०प० ग्वालियर के निम.प०
383-दो/2013 में पारित आदेशा दिनांक -
03-03-2014 ॥तीन मार्च दो हजार चौदह

1965

आज
आपका

व
10 14

ग्वालियर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :--

॥अ॥- यह कि बिचारण न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर दिनांक
10-10-08 को नामान्तरण आदेशा जरिफ प०क०/03/अ6/08-09 में पारित
किया गया जिसकी अनावेदिका द्वारा अबीध वाह्य प्रथम अपील दिनांक -
07-07-09 को की गयी जिसे दिनांक 16-07-010 को अबीध वाह्य मा
कर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया था ।

॥ब॥- यह कि अनावेदिका जो कि बिचारण न्यायालय में पक्षकार न
श्री बलिक तह सहमति का प्रपत्र पत्र दिनांक 07-10-2008 को पेस की


10/3/14
शर्मा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-पुर्न.1768-III/14

जिला-रीवा

शशिकांत नामदेव/मुस० मनिगिरिया

(1)	(2)	(3)
22.03.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	